

# The Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad (Amendment) Adhiniyam, 2016 Act 17 of 2018

Keyword(s): Ayurvigyan Parishad

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छ्प्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



ं पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 296 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 अगस्त 2018 — श्रावण 18, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2018

क्रमांक 8078/डी. 151/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25-04-2016 को राज्यपाल एवं दिनांक 30-07-2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 17 सन् 2018)

### छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 (क्र. 11 सन् 1990) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

हो :-

1.

2.

- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन ) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.
  - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- नवीन धारा 26क का अंत:स्थापन.
- छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 (क्र. 11 सन् 1990) की धारा 26 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात्:-
  - "26क. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.- (1) यदि राज्य शासन का समाधान हो जाये कि लोक हित में आवश्यक है, तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन कर सकेगा और तदुपरांत अनुसूची, राजपत्र में उक्तअधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से संशोधित की गई समझी जायेगी.
    - (2) उप-धारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी."

### नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2018

क्रमांक 8078/डी. 151/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09-08-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छंत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

## CHHATTISGARH ACT (No. 17 of 2018)

#### THE CHHATTISGARH AYURVIGYAN PARISHAD (AMENDMENT) ADHINIYAM, 2016

An Act to amend the Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (No. 11 of 1990 ).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad (Amendment) Adhiniyam, 2016.

Short title and commencement.

- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. After Section 26 of the Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (No. 11 of 1990), the following shall be inserted, namely:-

Insertion of new Section 26A.

- "26A. Power to amend the Schedule.- (1) If the State Government is satisfied that it is necessary in public interest then it may, by notification, amend the Schedule and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended from the date of publication of said notification in the Official Gazette.
  - (2) Every notification issued under sub-section (1), shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the State Legislative Assembly."